भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 376**

दिनांक 05.12.2023 को उत्तरार्थ

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पंचायतों की भागीदारी**

**†376. श्री डी. के. सुरेशः**

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पंचायत निकायों को स्थानीय स्तर पर अनाज की खरीद और वितरण करने में सक्षम बनाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रक्रिया में आमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए कदम उठाने की मांग करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि पंचायतों में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण अथवा अवसंरचना की क्षमता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार पंचायत निकायों को सक्षम बनाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रक्रिया में परिवर्तन लाने के विचार को कार्यान्वित करने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**पंचायती राज राज्य मंत्री**

**(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)**

(क) से (ड.): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के संयुक्त दायित्व के तहत संचालित होती है। केंद्र सरकार केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अनुसार खरीद, आवंटन और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के निर्दिष्ट डिपो तक ऐसे खाद्यान के परिवहन के लिए जिम्मेदार है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर खाद्यान उठाने और वितरण करने, पात्र लाभार्थियों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने, शिकायतों का निवारण करने, लाइसेंस बनाने, विनियमन, निगरानी और उचित मूल्य की दुकानों का संचालन (पंचायतों आदि सहित) उनके परिचालन संबंधी दायित्व संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों का है।

*****